28.2.17 अधिशासक अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील की को सुना गया। वकील की एवं अपने की गयी बहस। अभिलेख परिशीलन द्वारा पाया गया की इसमें बीच में रोकी गयी। ही कुछ ही दिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी है। अतएव इसी दिनांक पर ड्रोप करते का निर्देश किया जो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतएव इसी दिनांक पर ड्रोप किया जाय। पत्रावली फैसले हेतु रखकर कार्य सूचीबद्ध तकमील के लिखित दिनांक दी।

अ० वि० लखनऊ

शैलेन्द्र कुमार

पेशकार